न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोट कासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदीलाल मीणा- RAS

दावा सं.- 270/2016 | दावा दायरा दिनांक 14-9-2016 | प्र.पत्र निर्णय दिनांक 27-12-16

अनुपान

दिनेश वादी बनाम दलीप आदि प्रतिवादीगण.

धारा [illegible], प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी.।

उपस्थित:-
(1) श्री विकास यादव अधि. प्रार्थी/वादी
(2) श्री फिरोज खान अधि. अप्रार्थी/प्रति.

:: निर्णय ::

प्रार्थी/वादी की ओर से इस न्यायालय में एक प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा.दी. पेश कर निवेदन किया कि मैन वादी द्वारा अपने वकील को वाद पत्र में अहम तथ्य बताने व दर्ज करने से रह गया वाद में कुछ अहम खामियां रह जाने के कारण मैन वादी अपने उक्त अनुपानी वाद को वापिस लेकर पुनः नया वाद पेश करना चाहता है मैन वादी को मौजूदा वाद वापिस लौटाया जाकर नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी/प्रति. वकील को दी गई।

अप्रार्थी/प्रति. वकील ने जवाब पेश किया कि वादी ने प्रा.पत्र में दर्ज किया कि अहम तथ्य दर्ज करने से रह गया। जबकि प्रा.पत्र में वह अहम तथ्य दर्ज करना आवश्यक था जिसके अभाव में मौजूदा प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी इस प्रा.पत्र की आड में नया वाद लाना चाहता है जो कतई गलत है। वाद को विदड्रा करने के पर्याप्त कारण होना आवश्यक होते हैं। पर्याप्त कारण प्रा.पत्र में नहीं बताये तो दावा विदड्रा नहीं किया जा सकता। अहम तथ्य क्या दर्ज होने से रह गये। वादी ने प्रा.पत्र वर्णन नहीं किया एवं अन्तर्गत

आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. में लिखित दावा विदड्रा किया जा सकता है लेकिन नया वाद पेश करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अर्जी/वादी का मौजूदा प्रा.पत्र [illegible] में आवेदन [illegible] किया गया, अर्जी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रा.पत्र सुनी गयी।

अर्जी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रा.पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि मौजूदा वाद में अहम तथ्य दर्ज करने से रह गया है इसलिए मौजूदा वाद को विदड्रा कर नया वाद लाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थी/प्रति. के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में आवेदन प्रा.पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने वाद में अहम तथ्य दर्ज करने से रहने का खुलासा नहीं किया है। [illegible] तथ्य को छिपाना [illegible] जिसका खुलासा किया जाना आवश्यक है। वादी नया वाद लाना चाहता है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अर्जी का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे। नजीर का हवाला दिया।

मैंने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादी कथन वाद को विदड्रा करने पर [illegible] वाद को विदड्रा कर सकता है। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने वाद को विदड्रा किये जाने व नया वाद लाने के विरुद्ध कोई ऐसी कोई ठोस दलील पेश नहीं किया। विशेष अप्रार्थी का पक्ष खराब या न्यायिक [illegible] नहीं। मौजूदा वाद को न्यायिक दृष्टि से विदड्रा कर नया वाद की इजाजत दिये जाने पर कोई कारण अलग प्रतीत नहीं है।

-: आदेश :-

अतः प्रार्थी/वादी का प्रा.पत्र O-23 R-1 स्वीकार किया जाता है, वादी का मौजूदा वाद विदड्रा कर नया वाद लाने की आज्ञा विद कोस्ट 200/-रुपये प्रदान की जाती है। पत्रावली दावा फैसल पूर्ण होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। वादी अदर आइन्दा नया वाद विद कोस्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27/12/16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]